कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,खण्ड़–चित्तौडगढ़

क्रमांक/2018–19/ 1084 दिनांक : 31/7/18

श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पथ),
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।

विषय :– भूमि अर्जन पुनर्बासन और पुर्नव्यवस्थापन उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 5 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत् विभागीय वेबसाईड पर अपलोड़ करने बाबत्।

प्रसंग उपखण्ड अधिकारी,राशमी का पत्रांक /भूमि–अवाप्ति/2018/452 दिनांक 30.07.2018

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भीमगढ़ एवं हरनाथपुरा बाईपास निर्माण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 5 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत प्रभावित गावों में भूमि अर्जन के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 23.08.2018 को आयोजित किया है, तथा उक्त अधिनियम के तहत् लोक सुनवाई की लोक सूचना को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड किया जाना हैं।

अतः पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौडगढ द्वारा आयोजित लोक सूचना की प्रति सलग्न कर निवेदन है कि इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग की विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

सलग्न– लोक–सूचना

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड़–चित्तौडगढ
दिनांक

क्रमांक/2018–19/
प्रतिलिपि–निम्नाकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत चित्तौड़गढ़।
2. उपखण्ड अधिकारी,राशमी ।
3. श्री चिरंजी लाल वर्मा राजस्व निरीक्षक सा.नि.वि. वृत चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अभियेन्ता
सा.नि.वि. खण्ड़–चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/भूमि-अवाप्ति/2018/ 452 दिनांक 30 जुलाई, 2018

-:: संशोधित लोक-सूचना ::-

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 5 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नियम-7 राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान राज-पत्र विशेषांक संख्या एफ.2(13)/सानि/एएस/2017/D-57 दिनांक 05.02.2018 के अनुसार भीमगढ़ बाईपास परियोजना एवं राजस्थान राज-पत्र विशेषांक संख्या एफ.2(14)/सानि/एएस/2017/D-58 दिनांक 05.02.2018 के अनुसार हरनाथपुरा बाईपास परियोजना को विकसित किये जाने के प्रयोजन से तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के लिये इस कार्यालय की लोक-सूचना क्रमांक/भूमि-अवाप्ति/2018/447 दिनांक 27.07.2018 जारी की गई जिसे संशोधित किया जाकर निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु लोक सुनवाई का आयोजन निम्नानुसार किया जाता है।

क्र. सं.	प्रभावित गांव का नाम	बाईपास परियोजना	लोक सुनवाई स्थल	दिनांक	समय
1	भीमगढ़	भीमगढ़	पंचायत समिति सभागार, राशमी	23.08.2018	प्रात 11.00 बजे
2	हरनाथपुरा मातृकुण्डिया टेलपुरा राशमी	हरनाथपुरा			

इस लोक सुनवाई में समस्त प्रभावित आमजन एवं जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी